संख्या-104/2026/1098/22-2-2024-17(161)/2017

प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालजीत पुत्र श्री जागनलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-20371/प्रो0अनु0(2)-241/2023(बैठक दिनांक-24.01.2023), दिनांक 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालजीत पुत्र श्री जागनलाल, मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी के सह अभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी, रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी, तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा। इसी चुनावी रंजिश में दिनांक-10-03-2001 को सायंकाल 5-00 बजे 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बन्दूक, देसी तमंचा, बांका, सूजा लाठी, बल्लम से हमला कर दिया जिसमें 05 लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 07 अन्य घायल हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002,219/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148,436/149, 307/149, 302/149, 506, 7 सी0आर0एल0ए0 एक्ट, 4/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-23-09-2005 द्वारा बन्दी की मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2022 तक 21 वर्ष, 01 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 09 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 45 वर्ष, 03 माह, 22 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निर्गत अभिमत दिनांक 04-05-2024 में प्रश्नगत बंदी की जेल मैनुअल के अनुसार 14 वर्षीय नामिनल रोल हेतु समयपूर्व रिहाई के संबंध में विधिक अर्हता रखता है तो प्रशासन इस हेतु जेल मैनुअल तथा सुसंगत विधिक प्राविधानों के अधीन कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी का चुनाव हार गयी थी, रामस्वरूप ने लालता प्रसाद को सपरिवार धमकी दी तुम लोगों ने वोट नहीं दिया इसका नुकसान तुम्हे भुगतना पड़ेगा। इसी चुनावी रंजिश में दिनांक 10.03.2001 को सांयकाल 5:00 बजे 34 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बंदूक देसी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर 07 लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 के अर्न्तगत सिद्धदोष बंदी बालजीत पुत्र श्री जागनलाल को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालजीत (बन्दी सं0-16024) पुत्र श्री जागनलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-104/2026/1098(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।